Name of the College A.P.S.M College ...

Name of the college -> APSM College Barauni
Name -> Dr. Rajesh Kumar Suman
Dept -> Economics Date -> 24.4.2021
Designation -> [G.T]
Unit-3
Class -> B.A Part-II [H]
Paper -> 3rd
Name of the topic. राष्ट्रीय आय [National Income]

Unit-03

=> उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सावधानियाँ :

(i) इसके अंतर्गत पुरानी वस्तुओं के क्रय-विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है।

(ii) इसमें शामिल की जाने वाली उत्पादित वस्तुएँ उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए।

(iii) उत्पादन प्रक्रिया में माध्यमिक वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

(iv) पिछले वित्तीय वर्ष के रखे स्टॉक के मूल्य में वृद्धि राष्ट्रीय उत्पाद को प्रभावित नहीं करेगी।

(v) एक परिवार या गृहस्थ द्वारा अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित फल एवं सब्जियों का मूल्य सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(vi) स्व-उपभोग सेवाओं से मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इन सेवाओं का बाजार मूल्य ज्ञात करना कठिन होता है।

=> आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना करते समय सावधानियाँ।

=> (i) हस्तांतरित आय, जैसे -> वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता,

छात्रवृत्तियाँ इत्यादि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है।

(i) गैर कानूनी कार्यों जैसे- चोरी, सट्टेबाजी व घूस इत्यादि से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है।

(ii) वृद्धावस्था पेंशन एक तरफा भुगतान होता है, इसे राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जबकि सेवानिवृत्त पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले की गयी सेवाओं से सम्बन्धित होती है। इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित किया जाता है।

⇒ व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सावधानियाँ।

(i) कुल व्यय की माप करते समय, दोहरी गणना की समस्या से बचना के लिये, केवल अंतिम व्यय को ही शामिल किया जाना चाहिए।

(ii) पुरानी वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसे उत्पादन के वर्ष ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लिया गया है।

(iii) शेयरों तथा बॉण्डों पर किया गया व्यय भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है।

Scanned with CamScanner

⇒ राष्ट्रीय आय को मापने की विधि एवं आधार वर्ष में किये गए परिवर्तन।

⇒ केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय [CSO] ने जनवरी 2015 में राष्ट्रीय आय को मापने के लिये आधार वर्ष 2004-05 को संशोधित कर 2011-12 कर दिया है।

⇒ जनवरी 2015 के बाद से आर्थिक संवृद्धि और विकास को सकल मूल्य वर्द्धन के आधार पर मापा जाता है। चालू वर्ष 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक [RBI] ने देय में आर्थिक गतिविधियों के मापन हेतु पुनः सकल मूल्य वर्द्धन के स्थान पर सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग करने का निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के अनुसार, अर्थव्यवस्था में आर्थिक संवृद्धि को मापने के लिये पुनः सकल घरेलू उत्पाद आधारित पद्धति को अपनाने का मूल्य कारण अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आर्थिक संवृद्धि को मापना है। विश्व की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएँ एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिये सकल घरेलू उत्पाद पद्धति का उपयोग करती हैं। यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली के अनुरूप भी है। इससे विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना काफी आसान हो जाएगा।